

संयुक्त अरब गणराज्य सरकार और भारत सरकार
के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिये
समझौता

संयुक्त अरब गणराज्य (यूनाइटेड अरब रिपब्लिक) और भारत के बीच अतीत काल के घनिष्ट सम्बन्धों को ध्यान में रख कर,

तथा विज्ञान और टेक्नोलोजी से संबंधित मामलों में निकट संबंध बनाये रखने के समान इरादे से प्रेरित होकर,

तथा हर संभव उपाय से दोनों देशों के बीच इन संबंधों को बढ़ाने और विकसित करने की इच्छा से, मुख्यतः विज्ञान और टेक्नोलोजी के ऐसे क्षेत्रों में परस्पर हितों के उद्देश्य से तात्कालिक सहयोग करने और दोनों सरकारों के मध्य २५ सितम्बर, १९५८ के सांस्कृतिक समझौते के अनुच्छेद ६ को वागे बढ़ाने के लिये यह समझौता करने का निश्चय किया है और यह संयुक्त अरब गणराज्य (यूनाइटेड अरब रिपब्लिक) के वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय और भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा ।

अनुच्छेद १

इस दिशा में व्यावहारिक सहयोग प्राप्त करने के लिये उपरोक्त दोनों संगठनों ने वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजिस्टों के आदान-प्रदान करने का निश्चय किया है और इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये नीचे लिखे कदम उठाने का फैसला किया है:

- (अ) कुछ चुने हुये क्षेत्रों में दोनों देशों के वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठनों में निकट के संबंध स्थापित करना,
- (आ) आपसी तथा परस्परता के आधार पर वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजिस्टों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के लिये दोनों देशों की उचित संस्थाओं में आदान-प्रदान करने की सुविधायें उपलब्ध करना, और उनको उचित काम पर लगाना,
- (इ) परस्परता के आधार पर वैज्ञानिकों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति देना,
- (ई) वैज्ञानिक उपकरणों का आयात-निर्यात करना और इस बात पर विचार करना कि इसके लिये वर्तमान मुद्रा आदि जैसी बाधाओं को कहां तक दूर किया जा सकता है?

अनुच्छेद २

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे सभी विद्यार्थियों और प्रशिक्षार्थियों के लिये जो अपने विशिष्ट विषय के उपयुक्त दूसरे पक्ष के वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्था में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों पक्ष सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद ३

दोनों देशों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं और इन क्षेत्रों में जो प्रगति की है उनसे अपने देशवासियों को अवगत कराने के लिये दोनों पक्ष प्रयत्न करेंगे, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के

लिये वे व्यापक रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को तथा वैज्ञानिक प्रकाशनों के आदान-प्रदान के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करेंगे, तथा अन्य उपायों द्वारा जैसे चल-चित्रों, वृत्त-चित्रों आदि के द्वारा वैज्ञानिक सूचनाओं को सुले रूप से प्रसारित करने का निश्चित रूप से अवसर प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये दोनों देशों के वैज्ञानिक डाक्युमेन्टेशन केन्द्र, पुस्तकालय और संग्रहालय अपने-अपने साहित्य और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद ४

इस सहयोग को प्रभावपूर्ण बनाने के उद्देश्य से दोनों पक्ष एक संयुक्त वैज्ञानिक मंडल स्थापित करने के लिये सहमत हैं जो इस दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों में ताल-मेल बैठाने का काम करेगा।

इस मंडल में दोनों देशों के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट सीमित संस्था और समान अनुपात में रहेंगे। आरम्भ में, पांच सदस्य प्रति पक्ष के हिसाब से, इस मंडल के कुल दस सदस्य होंगे। मंडल के अवैतनिक अध्यक्ष एक वर्ष संयुक्त अरब गणराज्य की ओर से वहाँ के वैज्ञानिक अनुसंधान के मन्त्री तथा दूसरे वर्ष भारत की ओर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष हुआ करेंगे जो बारी बारी से प्रति वर्ष चुने जाया करेंगे। जहाँ तक सम्भव होगा, जिस वर्ष जिस देश में इस मंडल का सम्मेलन होगा, उसी देश का प्रतिनिधि इस मंडल का अध्यक्ष होगा।

संयुक्त वैज्ञानिक मंडल के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- (अ) दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के संबंध में सामान्य नीति निर्धारित करना।

- (जा) सहयोग को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये उचित कार्यकारी योजनायें बनाना ।
- (ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संबंधी चालू कार्यक्रमों का दोनों देशों में अध्ययन करना तथा परस्पर हित वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के सहकारी कार्यक्रमों की योजना बनाना ।
- (ङ) परस्पर हितों के क्षेत्र-विशेष में प्राप्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संबंधी परिणामों पर जागे के लिये आवश्यक कार्यवाही करना ।
- (उ) दोनों देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी योजना बनाने से संबंधित दृष्टिकोण और रीतिविधान का अध्ययन करना ।

अनुच्छेद ५

समझौते को एक 'कार्यान्वित योजना' के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा जो इस समझौते के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है । इस कार्यान्वित योजना में वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्टों के कार्यक्रम, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये उनकी नियुक्ति, काम आदि तथा दोनों पक्षों के आर्थिक उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं । संयुक्त वैज्ञानिक मंडल इस कार्यान्वित योजना पर ऐसे संशोधन के साथ समय-समय पर पुनरावलोकन कर सकता है जो दोनों देशों को मान्य हों ।

अनुच्छेद ६

यह समझौता संयुक्त अरब गणराज्य और भारत सरकार के बीच २५ सितम्बर, १९५८ को हुये सांस्कृतिक समझौते का पूरक है और जिस दिन इस पर हस्ताक्षर होंगे उसी तारीख से यह लागू हो जायेगा ।

यह समझौता २५ सितम्बर, १९५८ के सांस्कृतिक समझौते की अवधि तक लागू रहेगा ।

यह समझौता अरबी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया है । समझौते के तीनों भाषाओं में लिखे गये मजमून समान रूप से प्रामाणिक हैं, किन्तु शंका समाधान के लिये अंग्रेजी भाषा का मजमून निर्णायक माना जायेगा ।

नई दिल्ली में आज इसकी सन् एक हजार नौ सौ चाँसठ के सितम्बर मास के इस सातवें दिन हस्ताक्षर किये गये ।

संयुक्त अरब गणराज्य की
सरकार की ओर से

Ahmed Riad Tawfik
(अहमद रियाद तुकी)
मंत्री, वैज्ञानिक अनुसंधान

भारतीय गणराज्य की
सरकार की ओर से

H. C. Chagla
(एम. सी. चागला)
शिक्षा मन्त्री





AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF INDIA

AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF INDIA

IN RECOGNITION of the ties which have existed between the
United Arab Republic and India in the past,

and

INSPIRED by a common intention to establish closer relations
in matters pertaining to science and technology,

DESIROUS also of promoting and developing in every possible
way a sound basis for such relations between the two countries,
primarily aiming at collaboration in those fields of science and
technology, as will be of immediate mutual interest, in furtherance
of Article 9 of the Cultural Agreement of 25th September, 1958
between the two Governments,

HAVE decided to enter into this agreement which will be
implemented by the Ministry of Scientific Research of the United Arab
Republic and the Council of Scientific and Industrial Research, India.

ARTICLE 1

In order to achieve a fruitful measure of cooperation in this
direction, the respective two organisations have decided generally on
the exchange of scientists and technologists and to take the following
steps in the implementation of this decision.

- (a) The establishment of mutual relations between the
scientific and technical organisations of both the
countries in selected fields,

- (b) The creation of facilities for the exchange of scientists, technologists and experts and their proper placement in concerned institutions of the two countries, on a mutual and reciprocal basis,
- (c) Grant of fellowships to scientists and advanced students on a mutual basis, and
- (d) The import and export of scientific equipment and to consider how far for this purpose the present currency and other restrictions can be overcome.

ARTICLE 2

Each party undertakes to offer all necessary facilities to such of their advanced students and trainees as are willing to get practical training in their respective fields of specialisation in the appropriate scientific and technological institutions of the other party.

ARTICLE 3

Both parties shall endeavour to make known to their peoples the achievements and progress in matters pertaining to science and technology in the two countries and with this end in view they will encourage in a broad way free flow of scientific and technical knowledge, exchange of their scientific publications and will by other means ensure free dissemination of scientific information, such as through films, documentaries, etc. With a view to achieve this, the scientific documentation centres, libraries and museums of the respective two countries, will exchange their literature and publications.

ARTICLE 4

With a view to give effective shape to this collaboration, both parties agree to set up a Joint Scientific Board for the coordination of their efforts in this direction.

The Board will be constituted of a limited number of scientists and technologists of both the countries in equal proportion. To start with there will be ten members, five from each side. The Board will meet once in a year. The Honorary Presidency of this Board will be

held in alternate years on the United Arab Republic side by the Minister of Scientific Research and from the side of the C.S.I.R. by the Vice-President, Council of Scientific & Industrial Research and as far as possible the representative of the Country where the Conference is held shall be the President for that year.

The functions of the Joint Scientific Board will be as follows:-

- (a) Formulation of general policy of scientific and technical cooperation between the two countries.
- (b) Drafting of proper plans of operation to make cooperation effective.
- (c) Study of the current programmes of scientific and technical research in both the countries and planning of cooperative programmes of research of mutual interest.
- (d) Follow up action on the results of scientific and technical research achieved in special spheres of mutual interest.
- (e) Study of the methodology and approach in regard to the planning of scientific research in the two countries.

ARTICLE 5

This agreement will be implemented on the basis of the Plan of Implementation which is attached as an appendix. The Plan covers the programme of exchange of scientists and technologists, their placement for research and training, and financial obligations of the two parties. It may be reviewed from time to time by the Joint Scientific Board with such modifications as may be acceptable to them.

ARTICLE 6

This agreement supplements the Cultural Agreement of the 25th September, 1958 between the Government of the United Arab Republic and the Government of India and shall come into force on the date of signature.

The Agreement shall remain in force for the same period as the Cultural Agreement of 25th September, 1958.

DONE in duplicate in Arabic, Hindi and English, all texts being equally authentic except in the case of doubt when the English text shall prevail.


Signed at New Delhi this the Seventh Day of September, Nineteen Hundred and Sixty-Four.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
UNITED ARAB REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
REPUBLIC OF INDIA

Ahmad Riad Tourky
(AHMAD RIAD TOURKY)
Minister of
Scientific Research

M. C. Chagla
(M. C. CHAGLA)
Minister of
Education



भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार
के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार
ने,

यदिदतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित एवं विकसित करने की सामान्य इच्छा
से प्रेरित होकर, और

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
खेलकूद, जनस्वास्थ्य और जनसाधनों के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम सहित, संस्कृति,
शिक्षा के क्षेत्रों में हर संभव तरीके से संबंधों और सद्भावना को संप्रवर्तित तथा विकसित
करने की इच्छा से,

निम्नलिखित करार करने का निश्चय किया है :

अनुच्छेद - 1

संविदाकारी पक्षकार, कला और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
जनस्वास्थ्य, सूचना और शिक्षा के जनसाधनों, खेलकूद और पत्रकारिता के क्षेत्रों में
सहकारिता को सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे ताकि इन क्षेत्रों में वे अपनी-अपनी
संस्कृति और कार्यक्रमों की बेहतर जानकारी के लिए योगदान कर सकें ।

अनुच्छेद - 2

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे और सुकर बनाएंगे :

- (क) पारस्परिक देशों में लेखर देने, अध्ययन दौरे तथा विशेष पाठ्यक्रम
संचालित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के दौरे ;
- (ख) पारस्परिक देशों में शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक,
खेलकूद और पत्रकारिता संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों के दौरे और
सभाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा सेमिनारों में उनका भाग लेना ;
- (ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद के क्षेत्रों में सामग्री का विनिमय,
पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक
और खेलकूद प्रकाशनों का अनुवाद और विनिमय तथा जहाँ भी संभव
हो, कला नमूनों का विनिमय ; और

(घ) एक देश के पुरातत्वज्ञों को दूसरे देश में भ्रमण करने की पारस्परिक सुविधाएं प्रदान करना, जिससे वे सुदाई कार्य और उसके साथ पुरातत्व-खोजों के परिरक्षण और प्रदर्शन में अनुभव प्राप्त कर सकें तथा प्रशिक्षण सुविधाओं और नमूनों अथवा ढलवां वस्तुओं का भी विनियम ।

अनुच्छेद - 3

प्रत्येक सौवदाकारी पक्षकार दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को, जो उसकी उच्च अध्ययन की संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना चाहें, सुविधाएं और छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - 4

प्रत्येक सौवदाकारी पक्षकार उन शर्तों की जांच करने का वचन देता है जिनके अन्तर्गत दूसरे देश में प्रदान किए गए डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा विश्वविद्यालय की डिग्रीयों को अपनी शैक्षिक संस्थाओं आदि में अध्ययन के लिए मान्यता दी जा सके ।

अनुच्छेद - 5

प्रत्येक सौवदाकारी पक्षकार रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस के माध्यम से अन्य पक्षकार के जीवन तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री तथा कार्यक्रमों का विनियम करेंगे ।

अनुच्छेद - 6

सौवदाकारी पक्षकार निम्नलिखित बातों को सुकर बनाएंगे तथा संपादित करेंगे :

- (क) कलाकारों, नृत्य और संगीत मण्डलियों का विनियम ;
- (ख) कला तथा अन्य प्रदर्शनीयों का विनियम ;
- (ग) फिल्मों, वृत्तचित्रों, रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रम रिकार्डिंग और डिस्क तथा टेप रिकार्डिंग का विनियम ; और
- (घ) चलचित्र-विद्या के क्षेत्र में विशेषज्ञों का विनियम और एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ।

अनुच्छेद - 7

संवैधानिक पक्षकार, दोनों देशों के बीच खेल टीमों के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रचलित राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अधीन अपने-अपने देश में उनके निवास और गतिविधियों को सुकर बनाएंगे ।

अनुच्छेद - 8

संवैधानिक पक्षकार, यथासंभव इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अपनी-अपनी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों, विशेषतः से इतिहास और भूगोल से संबंधित पुस्तकों में एक दूसरे देश के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम अथवा मिथ्यावर्णन न हो ।

अनुच्छेद - 9

प्रत्येक संवैधानिक पक्षकार, अपने-अपने क्षेत्र में, अन्य संवैधानिक पक्षकार द्वारा संयुक्त रूप से या दोनों संवैधानिक पक्षकारों द्वारा अपने-अपने कानूनों, विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुसार शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में रत सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्री संस्थाओं की स्थापना का स्वागत करेगा । दोनों पक्षकारों द्वारा यह मान लिया जाता है कि इस अनुच्छेद के अनुसरण में किसी संस्था की स्थापना से पहले संबंधित सरकार की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी ।

अनुच्छेद - 10

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कभी भी जरूरी समझा जाए, पक्षकारों द्वारा एक संयुक्त समिति स्थापित की जायेगी, जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे, जिसकी बैठकें संवैधानिक पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर बारी-बारी से नई दिल्ली और अबू दाबी में होंगी ।

संयुक्त समिति वर्तमान करार के कार्यक्रम का आवधिक पुनर्विलोकन करने, वर्तमान करार में परिष्कृत क्षेत्रों में किसी भी पक्षकार के हित में किसी मद को तैयार करने और सिफारिश करने के लिए संबंधित सरकार को सलाह देने तथा ऐसी रीति के बारे में सलाह देने के लिए उत्तरदायी होगी जिससे इस करार के कार्यक्रम में सुधार किया जा सके ।

अनुच्छेद - 11

विद्यमान करार अनुसमर्पन-लिखितों के विनिमय की तारीख से लागू होगा। यह करार पांच वर्ष तक लागू रहेगा, और उसके बाद इसका स्वतः ही पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण हो जाएगा जब तक कि सविदाकारी पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस विद्यमान करार को अवसित करने के संबंध में दूसरे पक्षकार को छः महीने का लिखित स्व से पूर्व नोटिस न दे।

जिसके साक्ष्य में, सविदाकारी पक्षकारों के यथाविधि द्वाधिकृत प्रतिनिधियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये हैं तथा अपनी-अपनी मुद्रायें लगाई हैं।

नई दिल्ली में 1896 (शक) के बौष के तेरहवें दिन तदनुसार 1975 (ईसवी सन्) के जनवरी के तीसरे दिन छः मूल प्रतियों में, हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया। सभी पाठ समानतः प्रमाणित होंगे, किन्तु सन्वेह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से



(एस० नूरुल हसन)

शिक्षा, समाज कल्याण
तथा संस्कृति मंत्री

संयुक्त अरब अमीरात
की सरकार की ओर से



(अहमद खलीफा-अल-सुवैदी)

विदेश मंत्री

CULTURAL AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

.....

The Government of the Republic of India and
the Government of the United Arab Emirates,

INSPIRED BY a common desire to establish and
develop closer cultural relations, and

DESIROUS OF promoting and developing in every
possible manner the relations and understanding
between India and U.A.E. in the realms of art,
culture, education, including academic activity in
the fields of science and technology, sports, public
health and mass media of information and education,

HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and
encourage cooperation in the fields of art and culture,
education, science and technology, public health,
mass media of information and education, sports and
games and journalism in order to contribute towards
a better knowledge of their respective cultures and
activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and
facilitate:

- a) reciprocal visits of professors and experts
for delivering lectures, study tours and
conducting special courses;
- b) reciprocal visits of representatives of educational,
literary, scientific, technical, artistic, sports
and journalist's associations and organisations and
participation in congresses, conferences, symposia
and seminars;

....2

- c) exchange of materials in the fields of culture, science, education, sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible, exchange of art specimen; and
- d) reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists of one country to the other to enable them to gain experience of excavations as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of specimens or casts.

ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories.

ARTICLE 4

Each Contracting Party undertakes to examine the conditions under which the diplomas, certificates and university degrees awarded in the other country can be recognised for purposes of study in its own educational and other institutions.

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the media of radio, television and press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

- a) exchange of artistes, and dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions;
- c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and

- d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee may be established by the Contracting Parties as and when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of them, alternately in New Delhi and Abu Dhabi.

The Joint Committee will be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Government concerned in formulating and recommending any items of interest to either Party in

the fields envisaged in the present Agreement, as also advising the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE 11


The present Agreement shall be subject to ratification by the Contracting Parties in accordance with the procedural requirements of their respective Constitutions and shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for a further period of five years, until either Contracting Party gives to the other a six months prior written notice of its intention to terminate the present Agreement.


IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Contracting Parties have signed the present Agreement and have affixed their seals thereto.

DONE at New Delhi this thirteenth day of Pausa, 1896 (Saka) corresponding to the third day of January, 1975 (A.D.) in six originals, two each in Hindi, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic except that in case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB EMIRATES


(S. Nurul Hasan)
Minister of Education,
Social Welfare & Culture


(Ahmed Khalifa-Al-Suwaidi)
Minister of Foreign
Affairs